न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 230/22 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. हाजीखान पुत्र आदम जाति मुसलमान
निवासी हरपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. सुलेमान पुत्र करीम 2. जसोदा पुत्र करीम
3. समद 4. कचरा पि. रायब 5. सुमार पुत्र इमाम
6. कुरबान पुत्र बिलाल 7. मेहार पुत्र सखी
8. नसीबां पत्नी बिलाल 9. रसुल पुत्र इमाम
10. इतियां पत्नी इमाम 11. हनीफ 12. शाखर
13. जिमाल 14. सिदिक 15. ईदल पि. सखी
16. गुलाबां पत्नी सखी 17. फता 18. साहमीर पि. बिलाल
जाति मुसलमान निवासी हरपालिया
19. जसोदादेवी पत्नी हेमाराम जाति सुथार
निवासी हरपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनलाल खिलेरी

वकील विप्रार्थीगणः– श्री बाबुलाल विश्नोई, श्री कुंदनसिंह

निर्णय

दिनांक 26.08.2022

प्रार्थी हाजीखान पुत्र आदम जाति मुसलमान निवासी हरपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] तहसील सेड़वा के खसरा सं. 390/100 रकबा 5.8598 हैक्ट. भूमि का [illegible] कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 18 के खातेदारी मौजा हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 98 क्षेत्रफल 7.4138 हैक्ट. एवं विप्रार्थीनी संख्या 19 के खेत खसरा संख्या 387/99 क्षेत्रफल 1.1493 हैक्ट. में चलकर सरकारी रासते तक आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 390/100 क्षेत्रफल 5.8598 हैक्ट. के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत से सड़क मार्ग जाने के लिए बाधित हो जाते है। एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी संख्या 1 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ने ईकबालिये जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। प्रार्थी के आने जाने हेतु कदीमी रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 98 व 387/99 में से होकर सरकारी सड़क मार्ग तक आने जाने के लिये बिना अवरोध का एकमात्र सुगम रास्ता है जिसमें से विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 98 में से उक्त नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार निःशुल्क नवीन रास्ता देने हेतु सहमत है। तथा न्याायालय प्रार्थी का नवीन रास्ते का आवेदन स्वीकार करते है तो विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 19 के वकील को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिया जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया अतः उनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरपालिया के खातेदारी हाजी पुत्र आदम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 390/100 रकबा 5.8598 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम भूमि में से होकर सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु रास्ते की मांग की है। खसरा संख्या 387/99 के खातेदार जसोदा देवी पत्नी हेमाराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मावास बाड़मेर को जरिये वाट्सएप मो. संख्या 7891608160 पर दिनांक 16.08.2022 को सूचना प्राप्त कराई गयी तथा एक प्रति इनके ट्यूबेल पर कृषि फार्म कर रहे इनके सगे भाई खींमाराम को दी गई। खसरा संख्या 98 के खातेदारान को नोटिस की एक प्रति विधिवत रूप से तामील हो गई। प्रार्थी हाजीखान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से मांगे गये मार्ग का मौका मुआयना मौके पर उपस्थित मौतबरान एवं खातेदारान के रूबरू किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1	जसोदा देवी पत्नी हेमाराम जाति सुथार सा0 विश्वकर्मावास बाड़मेर खातेदार	387/99	1.1493 हैक्ट.	105गट्ठा * 03 गट्ठ	0.1275 हैक्ट.	हरपालिया	बारानी दोयम
2.	सुलेमान वल्द करीम सिदिक, हनीफ, शाखर, मेहार, जीमाल, इदल पि. सखी कचरा समद पि. रायब रसुल सुमार पि. इमाम इतिया पत्नी इमाम कुरबान, फता साहमीर पि. बीलाल नसीबा पत्नी बीलाल गुलाबा पत्नी सखी जसोदा पत्नी करीम जाति मुसलमान सा0 हरपालिया खातेदार	98	7.4138 हैक्ट.	44 गट्ठा * 03 गट्ठ	0.0566 हैक्ट.	हरपालिया	बारानी दोयम

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग हरा दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़ मकान आदि नहीं है वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम एवं सुगम वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम हरपालिया की डीएलसी दर सिंचित सड़क पर 40314/– रूपये प्रति बीघा है। ग्राम हरपालिया के खसरा संख्या 387/99 के खातेदार सूचना के बावजुद अनुपस्थित रही तथा खसरा संख्या 98 के खातेदार गुलाबा पत्नी सखी, सुलेमान पुत्र करीम, साहमीर पुत्र बिलाल मौके पर उपस्थित होकर प्रस्तावित रास्ते के लिए सहमति जाहिर की शेष खातेदार को नोटिस दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और कोई सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा संख्या 98 व 387/99 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस हरे रंग से दर्शाया गया 18.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिया जाना है तथा **तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में समाविष्ट भूमि की राशि डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थी से विप्रार्थीगणों को उनके हक–हिस्सानुसार दिलवायी जाकर रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।** मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई [illegible] का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 18 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 18 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 26.08.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई **कलबी**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:33 IST
Reason: SelfAttested